



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245198
CG-DL-E-17042023-245198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]
No. 234]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 295(अ).— वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 6 के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) नियम, 1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ जारी करती है; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपनी टिप्पणियों या सुझावों को लिखित रूप में ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अथवा ई-मेल पता mishra.vp@gov.in या rnpankaj.cpcb@nic.in पर प्रेषित कर सकता है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 6 के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) नियम, 1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अंडमान और निकोबार प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ

परामर्श करने के उपरान्त, एतद्वारा, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात् 1. बराटांग, 2. हैवलॉक (जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है), 3. लिटिल अंडमान, 4. लॉन्ग आईलैण्ड, 5. उत्तरी अंडमान (मुख्य द्वीप), 6. मध्य अंडमान, 7. नील (जिसे अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है), 8. रॉस आईलैण्ड (जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है), 9. रटलैंड, 10. स्ट्रेट आईलैण्ड, 11. स्मिथ आईलैण्ड, 12. चथम द्वीप सहित दक्षिणी अंडमान, 13. कार निकोबार, 14. चोवरा, 15. टेरेसा, 16. बोंपोका, 17. कटचई, 18. ननकोवरी, 19. पिलो मिलो और 20. ग्रेट निकोबार को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. क्यू-15014/08/2022-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2023

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), read with Section 6 of that Act and Rule 8 of the Air (Prevention and Control of Pollution) (Union Territories) Rules, 1983, the Central Government hereby issues the following draft notification, for the information of public likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or send it to the email address: mishra.vp@gov.in or mpankaj.cpcb@nic.in.

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), read with Section 6 of that Act and Rule 8 of the Air (Prevention and Control of Pollution) (Union Territories) Rules, 1983, the Central Government after consultation with the Andaman and Nicobar Administration Pollution Control Committee, hereby declares, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, the areas i.e. 1. Baratang, 2. Havelock (now known as Swaraj Deep), 3. Little Andaman, 4. Long Island, 5. North Andaman (Main Island), 6. Middle Andaman, 7. Neil (now known as Shaheed Dweep), 8. Ross Island (now known as Netaji Subash Chandra Bose Island), 9. Rutland, 10. Strait Island, 11. Smith Island, 12. South Andaman, including Chatham Island, 13. Car Nicobar, 14. Chowra, 15. Teressa, 16. Bompoka, 17. Katchai, 18. Nancowry, 19. Pilo Milo and, 20. Great Nicobar in the Union Territory of Andaman & Nicobar as Air Pollution Control areas.

[F. No. Q-15014/08/2022-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.